प्रकरण संख्या 39/2017 पर्बतसिंह व अन्य बनाम मोतीसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.06.2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2012 को तनकियात कायम की गयी तथा उभयपक्षों द्वारा प्रकरण में साक्ष्य भी पेश की गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 15.03.2017 को निर्णय पारित करते हुए बिना तनकीवार विवेचन किये सरसरी निर्णय पारित कर दिया जो जाब्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 5 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है एवं इस प्रकार के निर्णय कभी भी वस्तु निष्ठ निर्णय नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक प्रत्येक विवाद बिन्दु पर निर्णय नहीं किया जाता, तब तक प्रकरण का नातिक निस्तारण नहीं माना जा सकता, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री स्पष्टया विधि प्रतिकूल है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2017 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रत्येक तनकियात पर उपलब्ध साक्ष्य अनुसार उभयपक्षों को पुनः सुनकर प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27.08.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	